उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने के प्रपत्र/प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम	:–	देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना
याचित वन भूमि	:–	0.3326 है0
ब्लॉक	:–	भीमताल
जनपद	:–	नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
भीमताल, जिला–नैनीताल

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु
वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने के
प्रपत्र/प्रमाण पत्र।

परियोजना का नाम	–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना
याचित वन भूमि	–0.3326 है0
ब्लाक	–भीमताल
जनपद	–नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
भीमताल, जिला–नैनीताल

शासनादेशसंख्या –883/X–3–2011–8(21)/2010 दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 के द्वारा राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की बेनाप वन एवं बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित किये जाने वाली अधिसूचना संख्या 869/एफ/638 दिनांक 17.10.1893 को अधिसूचना संख्या –866/X–3–2011–8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 द्वारा विखण्डित किये जाने के अनुक्रम में देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

विषय सूची

क0सं0	प्रपत्र	पृष्ठ संख्या
1	प्रारूप–1	
2	प्रारूप–2	
3	प्रारूप–3	
4	प्रारूप–ग	
5	परियोजना की वित्तीय स्वीकृति	
6	परियोजना की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र	
7	जनपद स्तरीय गठित भूमि हस्तान्तरण समिति के सदस्यों कि परिक्षणोपरान्त आख्या/संस्तुति प्रमाण पत्र	
8	1:50,000 मैप एवं डिजिटल मैप	
9	प्रारूप–11	
10	प्रारूप–12	
11	प्रारूप–13	
12	परियोजना हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र	
13	सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये	
14	प्रस्तावित भूमि के नक्शा/खसरा खाता खतौनी मय अन्य प्रपत्र	
15	बारचार्ट	
16	परियोजना निर्माण से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रमाण पत्र	
17	प्रारूप–25,26,27 एवं 28	
18	Cost Benefit ratio calculation performa	
19	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना	
20	ग्राम पंचायत का अनापति प्रमाण–पत्र	
21	भूगर्भाय निरीक्षण आख्या	
22	भू–वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	
23	धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण पत्र	
24	प्रारूप–39 एवं 40	
25	प्रारूप–41 एवं 42	
26	प्रारूप–43, 44 एवं 45	
27	प्रारूप–46, 47 एवं 48	
28	प्रारूप–49, 50 एवं 51	
29	आर0सी0सी0 पिलरों का प्राक्कलन	
30	प्रारूप–53 एवं 54	
31	प्रारूप–55 एवं 56	
32	प्रारूप–57	
	1111	

परियोजना का नामः–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 0.3326 है0 वन भूमि का 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना

प्रतिवेदन

जनपद–नैनीताल के विकास खण्ड– भीमताल के अन्तर्गत देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण राज्य सैक्टर (ग्रामीण) नाबार्ड वित्त पोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। यह योजना ग्राम पंचायत देवीधूरा के देवीधूरा एवं मल्ला जमीरा तोक तथा ग्राम पंचायत बेलुवाखान के तोक कून के समस्त ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित है। इस योजना को जनहित में बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है। इस योजना के निर्माण कार्य के लिए कुल 0.3326 है0 भूमि 30 वर्षों की लीज पर लिये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के निर्माण से कोई भी वृक्ष प्रभावित नही हो रहे है।योजना निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

1. आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य का विवरण :–

राईजिग मेन:–	700.00x 0.6 =	420.00 Sqm
सप्लाई मेनः–	3440.00x0.6 =	2064.00 Sqm
मुख्य जलाशय	10.00 x 10.00 =	100.00 Sqm
वितरण जलाशय(i)जमीराः–	7.00 x 6.00 =	42.00 Sqm
(ii)देवीधूरा–	10.00 x10.00 =	100.00
वितरण लाईनः–	1000.00 x0.60 =	600.00
	Total :- =	3326.00 Sqm
	Say =	0.3326 Hect.

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
भीमताल

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
भीमताल (नैनीताल)।

योजना का नामः—देवीधूरा—कून पम्पिंग पेयजल योजना

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण—पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 26.05.2020को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री भूपाल सिंह मेहता, वन क्षेत्राधिकारी, श्री दयाकिशन तिवारी, वन दरोगा, श्री सुन्दर लाल चौधरी, वन रक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री विवेक चन्द्र भट्ट,अपर सहायक अभियन्ता श्री कुन्दन सिंह स्यूनरी, वर्क एजेण्ट द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.3326हे0, निजी/सिविल भूमि 0.571हे0 एवं वन पंचायत भूमि 0.0298हे0 भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में वृक्षों का पातन नही किया जाना है।
(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है) लागू नही

क्र0 सं0	कार्य स्थल का नाम	स्थल का विवरण	खसरा सं0	याचित वन भूमि/वन पंचायत भूमि का क्षेत्रफल (हे0)			याचित भूमि की श्रेणी
				आरक्षित वन भूमि	वन पंचायत भूमि	निजी भूमि	
1—	श्रोत कार्य पम्पिंग एवं मुख्य पम्पिंग स्टेशन।	सौलिया गधेरा, कम्पार्टमैन्ट सं0—2		—	0.0118	—	वन पंचायत के अन्तर्गत
2—	राईजिग मेन	सौलिया गाँव, कम्पार्टमैन्ट सं0—2		0.042	0.018	—	—
3—	मुख्य जलाशय	मल्ला कून कम्पार्टमैन्ट सं0—2		0.01	—	0.01	—
4—	सप्लाई मेन	मुख्य जलाशय से वितरण जलाशय तक कम्पार्टमैन्ट सं0—2, 3		0.138	—	—	—
5—	वितरण जलाशय कून	कून, मल्ला जमीरा, कम्पार्टमैन्ट सं0—2 देवीधूरा क0सं0—3		0.0142	—	0.0036	—
6—	वितरण प्रणाली	कून, मल्ला जमीरा, देवीधूरा क0सं0—3		0.06	—	0.5574	—
7—	ट्रांसमिशन लाईन	सौलिया गधेरा, सेरूसी बाईपास सड़क कम्पार्टमैन्ट सं0—2		—	0.0003	—	वन पंचायत के अन्तर्गत
		क्षेत्र का योगः—		0.3326	0.0301	0.571	

प्रस्तावित भूमि ब्लाक भीमताल, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल, तहसील नैनीताल के अन्तर्गत है।

अपर सहायक अभियन्ता — वन दरोगा — पटवारी

तहसीलदार नैनीताल.

तहसीलदार — वन क्षेत्राधिकारी — उप प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम भीमताल (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी मनोरा वन क्षेत्र नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

सहायक अभियन्ता (निर्माण शाखा) — उप जिलाधिकारी

परगनाधिकारी नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम भीमताल (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी — अधिशासी अभियन्ता (निर्माण शाखा) — जिलाधिकारी

जिलाधिकारी नैनीताल

प्रारुप–1

Er. S.C. Bhatt S/o **Mr. B.D. Bhatt** is hereby authorized to upload the land transfer proposal regarding Water Supply Scheme work under Devidhora koon Water Supply Scheme of the Construction Division,Bhimtal on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Uttarakhand Peyjal Nigam.

Signature
Name and seal of the competent
Authority

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रारुप–2

भाग–1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

योजना विवरण :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना के अन्तर्गत श्रोत कार्य, पम्प हाउस, राईजिंग मेन, मुख्य जलाशय, सप्लाई मेंननिर्माण तथा तत्सम्बन्धी कार्य।

1.	क)	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	: देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना के अन्तर्गत श्रोत कार्य, पम्प हाउस, राईजिंग मेन, मुख्य जलाशय, सप्लाई मेन निर्माण तथा तत्सम्बन्धी कार्य।
	ख)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमिं और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	: संलग्न है।
	ग)	परियोजना की लागत।	: रू0 189.38 लाख
	घ)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	: एक मात्र विकल्प
	ड़)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	: लागू नहीं।
	च)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	: सम्भावना नहीं है।
2.		कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :	: 0.3326है0
3.		परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	
	क)	परिवारों की संख्या	: X
	ख)	अनुसूचित जाति/जनज़ाति के परिवारों की संख्या।	: X
	ग)	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	: X
4.		क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	: हां
5.		प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	: संलग्न है।
6.		निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	: सभी प्रमाण पत्र संलग्न।

दिनांक.................

स्थान–भीमताल

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
(नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल

प्रारुप–3

भाग–2 (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16.	परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	
(i)	राज्य / संघराज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii)	जिला	नैनीताल
(iii)	जिला वन प्रभाग	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
(iv)	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	
17.	पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति	
18.	अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा	
(i)	वन का प्रकार	आरक्षित वन
(ii)	वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	
(iii)	प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	
(iv)	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	
19.	भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण	
20.	वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	
21.	वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	
(i)	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा	
(ii)	क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	लागू नही
(iii)	क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि0मी0 के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	लागू नही
(iv)	क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्यजीव अत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि0मी0 के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	लागू नही
(v)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे।	लागू नही
22.	क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन0ओ0सी0) के साथ उसका ब्यौरा दें)	लागू नही
23.	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	
(i)	क्या भाग–1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथा प्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	
(ii)	यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	लागू नही
24.	**किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :**	
(i)	क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं)	

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25. **क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :**

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नहीं)

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उप वन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न है (हां/नहीं)

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें।

स्थान..............................

दिनांक............... हस्ताक्षर नाम मोहर

प्रारुप–4
भाग–3

28. क्या स्थल जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।
29. क्या वन संरक्षक भाग–2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।
30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

दिनांक..................

स्थान..........................

हस्ताक्षर
नाम
मोहर

प्रारुप–5

परियोजना का नाम–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।

–वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृतिसंलग्न है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
भीमताल

10

संख्या– 06 /उन्तीस(2)/20–[illegible]/2018

प्रेषक,

जी0बी0 ओली
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 19 फरवरी,2020

विषय :– नाबार्ड की RIDF-XXV (फेस–05) के अंतर्गत वित्त पोषित 10 नयी पेयजल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या–1071/01(110)/XXVII(1)/2016 दिनांक 01 जनवरी,2020 एवं नाबार्ड के पत्र संख्या–2534/ RIDF- XXV(Uttarakhand)/50th ISC-19-11-2019 दिनांक 28 नवम्बर,2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड RIDF-XXV (फेस–05) के अंतर्गत 10 पेयजल योजनाओ का वित्त पोषण किये जाने हेतु अनुमोदित लागत रू0 6149.67 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष, 2019–20 में संलग्न तालिका के कालम संख्या–07 के अनुसार 30 प्रतिशत एडवांस मोबलाइजेशन की धनराशि रू0 1844.90 लाख (रू0 अठारह करोड़ चौवालिस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक है।

(iii) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(iv) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(v) अनुमोदित कार्ययोजना नाबार्ड की गाईड लाईन एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों का अनुपालन करते हुए समयान्तर्गत पूर्ण की जाय।

(vi) मोबलाइजेशन हेतु स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग एवं व्यय तथा कार्य योजना की प्रगति आख्या आगामी किश्त लेने से पूर्व शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(vii) यदि कार्य योजना के तकनीकी पहलुओं पर किसी प्रकार की तकनीकी जॉच की आवश्यकता हो तो, कार्य योजना प्रारम्भ होने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(viii) अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार धनराशि व्यय की जाय। संशोधित कार्य योजना एवं पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

(ix) कार्य योजना विवादित होने की स्थिति में तत्काल वित्त विभाग को अवगत कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।

Photo copy Attested 21.7.(20)

(X) कार्यस्थल पर डिस्पले बोर्ड पर नाबार्ड से प्रोजेक्ट वित्त पोषित –स्वीकृत धनराशि रू0, कार्य की समयावधि सहित कार्यदायी इकाई का नाम अंकित किया जायेगा। प्रोजेक्ट कार्य की मासिक प्रगति की वीडियो ग्राफी करते हुए नियमित अन्तराल पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(xi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरें/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 2047/xiv.219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xiii) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्त व्यय समिति के दिशा–निर्देशो का अक्षरतः पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xiiv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय– 01– जलापूर्ति–102– ग्रामीण जलपूर्ति– 98 नाबार्ड वित्त पोषित – 01– नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओ हेतु अनुदान– 24 वृहद निर्माण मद के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या– H 20020130040 दिनांक 17 फरवरी, 2020 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29 मार्च,2019 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 133/ XXVII(2)/2019 दिनांक 17 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(जी0बी0 ओली)
अपर सचिव

Photo copy Attested
21.9.20

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

पृ0 संख्या– /उन्तीस(2)/20–2(262 पे0)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3–जिलाधिकारी, देहरादून।
4–निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7–बजट निदेशालय, देहरादून।
8–वित्त अनुभाग–/2, उत्तराखण्ड शासन।
10 प्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 42– आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
9–मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

12

40-06/2020

...की वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु RIDF XXV नाबार्ड के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु योजनाओं का ...

(धनराशि रु0 लाख में)

जनपद	कार्य का नाम तथा योजना	योजना की अपग्रेटेड लागत, सेन्टेज सहित	राज्यांश	नाबार्ड के अन्तर्गत ऋण की धनराशि	30 प्रतिशत मोबलाइजेशन एडवांस की धनराशि
2	3	4	5	6	7
टिहरी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 723/17 के अंतर्गत कोशियार ताल ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना (Phase-II)	1573.16	157.32	1415.84	424.75
पौड़ी	एकेश्वर श्रोत संवर्द्धन ग्राम समूह पेयजल योजना	493.46	49.35	444.11	133.23
नैनीताल	जनपद नैनीताल के विकासखण्ड भीमताल की देवीधुरा–कून पंपिग पेयजल योजना	189.38	18.94	170.44	51.13
नैनीताल	जनपद नैनीताल के विकासखण्ड बेतालघाट की भतरौज रीची– थापल पुनर्गठन वितरण प्रणाली पेयजल योजना	286.11	28.61	257.50	77.25
चमोली	बमोथ पेयजल योजना	119.64	11.96	107.68	32.30
चमोली	देवर खडोरा पेयजल योजना	84.43	8.44	75.99	22.80
चमोली	सलना पेयजल योजना	48.61	4.86	43.75	13.12
बागेश्वर	खरेही पट्टी पुन0 पेयजल योजना	2659.00	265.90	2393.10	717.93
बागेश्वर	जनपद बागेश्वर की बमराडी पेयजल योजना	52.45	5.25	47.21	14.16
पिथौरागढ़	ग्वासीकोट ग्राम समूह पंपिग पेयजल योजना	1326.73	132.67	1194.06	358.22
	योग	6832.97	683.30	6149.67	1844.90

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

Users\A\Desktop\audit\NabardAnil new proposal 5.xlsxNabardAnil new proposal 5.xlsx

प्रारुप–6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनाँक 26.05.2020 को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उ0पे0निगम, भीमताल (एजेन्सी का नाम) के द्वारा सौलिया गधेरे से देवीधुरा तक बनाये जाने वाली प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री भूपाल सिंह मेहता, वन क्षेत्राधिकारी राजस्व विभाग की ओर से श्री अमित शाह, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री विवेक चन्द्र भट्ट, अपर सहायक अभियन्ता, एवं श्री कुन्दन सिंह स्यूनरी, वर्क एजेण्ट अन्य दावेदारों की ओर से श्री हरीश भट्ट, पुर्व प्रधान तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में श्री सुरेश चन्द्र तथा श्री नरेन्द्र प्रसाद, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 9290.00(मी0) निजी/सिविल भूमि.से, 5140.00 (मी0) आरक्षित वन क्षेत्र भूमि से, 450.00 (मी0) वन पंचायत से भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.571हे0 निजी/सिविल भूमि, 0.3326 आरक्षित वन क्षेत्र भूमि, 0.0301हे0 वन पंचायत भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.3326हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर कोई भी वृक्ष प्रभावित नही होंगे।

इस समरेखण के तुलना में इसके अतिरिक्त योजना के निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नही है। अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन नलैना बीट कम्पार्टमैन्ट सं0–2, 3.कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन चार है एवं इन कक्षों में चीड़, सुरई, उतीस आदि प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि — पर — प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर — प्रजाति के .वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन — है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPSमान 29°21.769', 79°26.684' तथा यह स्थल सौलिया गधेरा श्रोत से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल देवीधूरा है जिसका GPSमान 29°20. 378'79°26.154' है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPSमान29°21.254'79°27.023' हैं।

चयनित समरेखन में कुल शून्य पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate)किया जाना आवश्यक होगा ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा ।

इस समरेखण पर पेयजल योजना के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु. — स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPSमान — हैं।

अन्य आवश्यक विवरण ......

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पृथक से संलग्न है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि	(वन विभाग) प्रतिनिधि	(राजस्व विभाग) प्रतिनिधि	(अन्य दावेदार) प्रतिनिधि	(जन प्रतिनिधि) प्रतिनिधि

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

नोट– इस रिपोर्ट पर भूवैज्ञानिक की राय भी प्रस्ताव बनाने से पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाये।

तहसीलदार
नैनीताल।

परगनाधिकारी
नैनीताल

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप–7

(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from.......................................for diversion under FCA-1980) of0.3326 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of Sewage Treatment Plant. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated.........
5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forest measuring.................ha.
5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.
5.4 Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-
5.5 Whether any protected archeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required :-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Hand Book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोटः– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रुप से अंकित की जाय)

(Signature)

Place :-..........................
Date :-............................

Name............................
Designation....................
Office seal..................

N.B.
X State the purpose for which the forest land is proposed to be.
XX Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter no. 2-2/2000 FC dated 16.10.2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.
Authority

15

प्रारुप–8

योजना का नाम–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

प्रपत्र संख्या–8 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ सर्वे आफ इण्डिया के 1:50,000 पैमाने की टोपोशीट पर परियोजना को लाल रंग से प्रदर्शित किया जाना है, तथा आस–पास की विभिन्न प्रकार की भूमि को भिन्न–2 निर्धारित रंगों से प्रदर्शित किया जाना है तथा इनका विवरण संकेत तालिका में भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय। निर्धारित रंगों का विवरण निम्नानुसार है। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण के प्रकरणों में क्षेत्र में विद्यमान सड़कों का नेटवर्क तथा प्रस्तावित मार्ग जिस पूर्व निर्मित मार्ग से प्रारम्भ हो रहा है, को भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।)

1. आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से।
2. सिविल एवं सोयम भूमि को पीले रंग से।
3. वन पंचायत भूमि को नीले रंग से।
4. संरक्षित वन भूमि को भूरे रंग से।
5. नाप भूमि को अन्य किसी रंग से।

(इस मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रारूप–9

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

प्रपत्र संख्या –9 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ सर्वे आफ इण्डिया के 1:50000 पैमाने के डिजिटल मानचित्र पर परियोजना को प्रदर्शित करते हुए जी0पी0एस0 रीडिंग अंकित की जानी है व प्रपत्र संख्या–8 की सूचनाऐं भी सम्मिलित की जानी है।

(इस डिजिटल मानचित्र में मानचित्र कर्ता सहित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रारूप–10

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

प्रपत्र संख्या – 10 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ गूगल मानचित्र (kml file में) पर प्रस्तावित परियोजना को प्रदर्शित किया जाना है तथा प्रस्तावित संरेखण की जी0पी0एस0 रीडिंग भी अंकित की जानी है।
(इस गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

लागू नहीं।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

गूगल मैप– जनपद नैनीताल के विकासखण्ड भीमताल की देवीधूरा कून पंपिग पेयजल योजना।

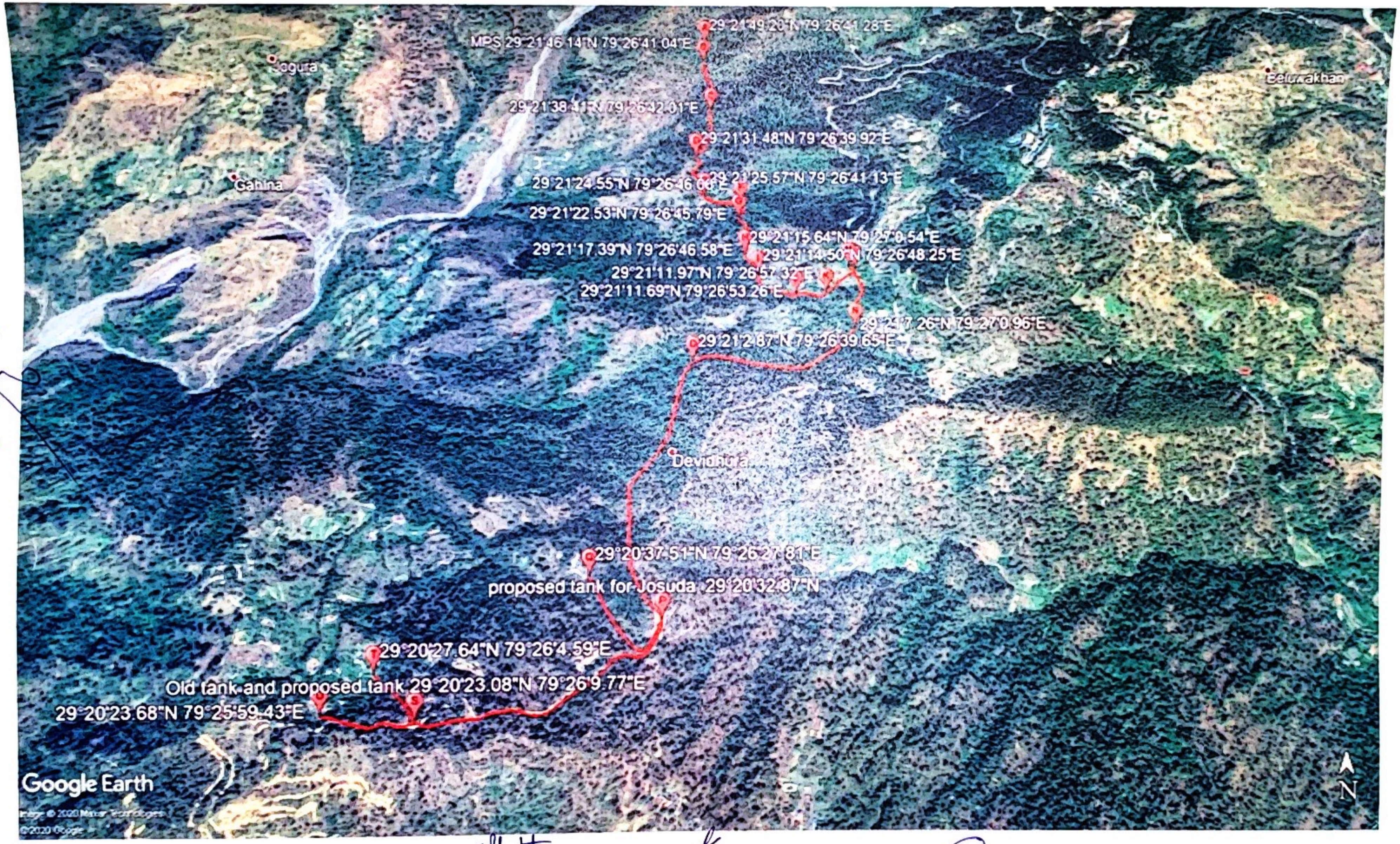

Legend

Proposed Pipe Line

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

18

डिजिटल मैप– जनपद नैनीताल के विकासखण्ड की देवीधुरा कून पम्पिंग योजना का निर्माण।

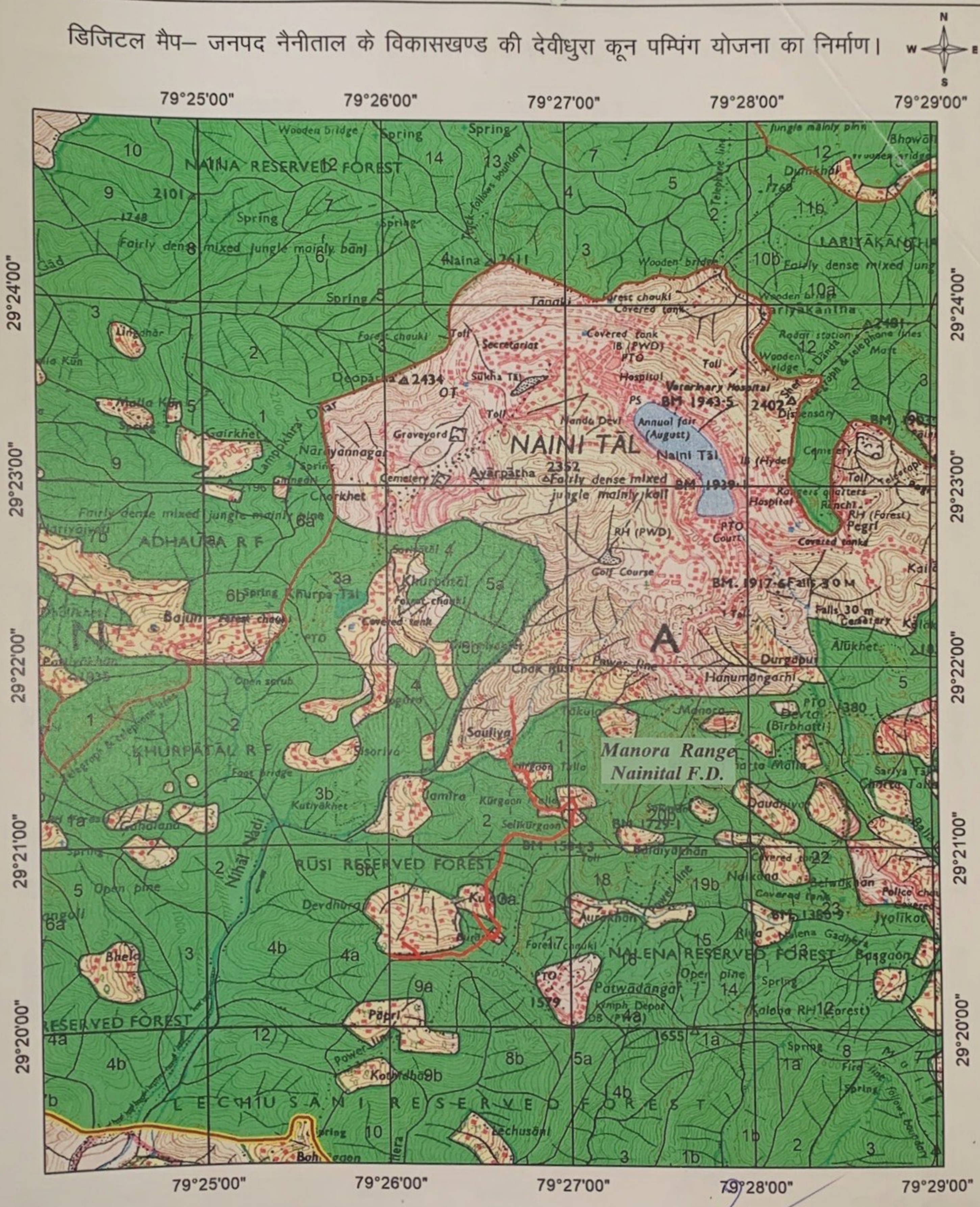

Legend

(red line)	Proposed_Line
(white box)	Reserve Forest Boundary
(green box)	Reserve Forest Area
(brown box)	Range_Boundary
(yellow box)	Division_Boundary

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
km

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

जियो रैफरेन्स मैप– जनपद नैनीताल के विकासखण्ड की देवीधुरा कून पम्पिंग योजना का निर्माण।

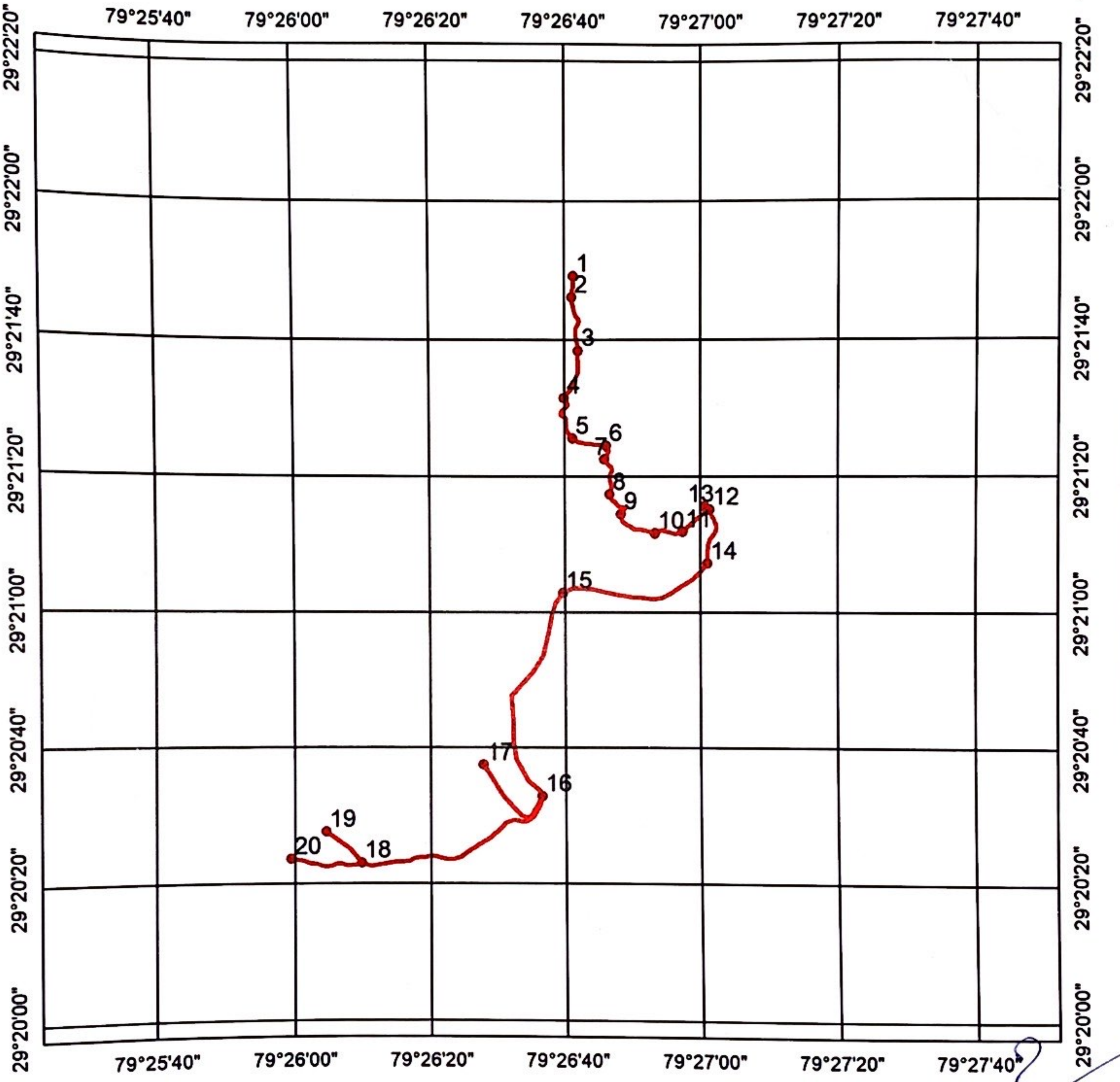

Legend

- GPS_Points
- Proposed_Line

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 km

ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude
1	79°26'41.28"E	29°21'49.20"N	11	79°26'57.32"E	29°21'11.97"N
2	79°26'41.04"E	29°21'46.14"N	12	79°27'1.33"E	29°21'15.20"N
3	79°26'42.01"E	29°21'38.41"N	13	79°27'0.54"E	29°21'15.64"N
4	79°26'39.92"E	29°21'31.48"N	14	79°27'0.96"E	29°21'7.26"N
5	79°26'41.13"E	29°21'25.57"N	15	79°26'39.65"E	29°21'2.87"N
6	79°26'46.06"E	29°21'24.55"N	16	79°26'36.47"E	29°20'32.87"N
7	79°26'45.79"E	29°21'22.53"N	17	79°26'27.81"E	29°20'37.51"N
8	79°26'46.58"E	29°21'17.39"N	18	79°26'9.77"E	29°20'23.08"N
9	79°26'48.25"E	29°21'14.50"N	19	79°26'4.59"E	29°20'27.64"N
10	79°26'53.26"E	29°21'11.69"N	20	79°25'59.43"E	29°20'23.68"N

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारूप–11

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

ग्राम पंचायत बेलुवाखान के अन्तर्गत तोक कून एवं ग्राम पंचायत देवीधूरा हेतु पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत श्रोत कार्य, मुख्य पम्पिंग स्टेशन (पम्प हाउस एवं सम्प), राईजिंग मेन, मुख्य जलाशय एवं वितरण जलाशय तथा पाईप लाईन सम्बन्धी कार्य कराये जाने हैं।

देवीधूरा कून पम्पिंग पेयजल योजना राज्य सैक्टर ग्रामीण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं नाबार्ड वित्त पोषित है जिसकीस्वीकृत लागत रू0 189.38 लाख, का क्रियान्वयन इस कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

उक्त स्वीकृत योजना के अन्तर्गत जिला नैनीताल, तहसील नैनीताल ब्लॉक भीमताल, खसरा सं0 ....एवं ....के अन्तर्गत श्रोत कार्य, मुख्य पम्पिंग स्टेशन (पम्प हाउस एवं सम्प), राईजिंग मेन, मुख्य जलाशय एवं वितरण जलाशय तथा पाईप लाईन सम्बन्धित कार्यो के निर्माण हेतु 0.3326है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु पेयजल निगम को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
भीमताल

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रारूप–12

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

प्रपत्र संख्या – 14 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ गूगल मानचित्र (.kml file में) पर प्रस्तावित कार्य का विवरण तथा वैकल्पिक संरेखण/स्थल को प्रदर्शित किया जाना है तथा प्रस्तावित संरेखण एवं वैकल्पिक संरेखण की जी0पी0एस0 रीडिंग भी अंकित की जानी है।
(इस गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

लागू नहीं।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
भीमताल

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रारुप—13

Performa for comparison between identified alignments

Sl. No.	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	Topography	Hilly	Hilly & dense Forest
2	Length of Road	Briddle path (14.88 Km)	Dense forest (15.58 Km)
3	Bridging requirement No. and Length	—	—
4	Geometric	—	—
	(a) Gradients	—	—
	(b) Curves, H.P. Bends	—	—
5	Existing means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.	Mule / Path	N.A
6	Right of way, bringing out, construction on account of built up areas, monuments and other structures.		
7	(a) Terrain & Soil condition	SMB & Med-Rock	SMB & Med-Rock
	(vi) Cliffs and gorges. (vii) Drainage characteristics of the area including susceptibility to flooding. (viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and descends. (ix) Variations extents and types.	—	—
8	Climate Condition: (a) Temperature Monthly max. & min. reading. (b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available). (c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available). (d) Wind direction and velocities. (e) Fog condition. (f) Exposure to sun. (g) Unusual weather condition like cloud burst etc.		
9	Facilities resources. (a) Landing ground (b) Dropping Zone (c) Food stuffs (d) Labour local availability and need for import. (e) Construction materials (Timber, Bamboo, sand, stone, shingle etc. extent of their availability and lead involved.	—	—
10	Value of land, agricultural land, Irrigated land, built up land, forest land	—	—

	etc.		
11	Approximate Construction Cost.	189.38 Lakh	195.00 Lakh
12	Access point indicating possibility of induction of equipment.	Easier	Tough
13	Period required for construction.		
14	Strategic consideration.		
15	Important villages, towns and markets centers to be connected.		
16	Recreational potential.		
17	Economic Factors: (a) Population served by the alignment. (b) Agricultures and economic potential of the area.	831/1163 —	831/1163 —
18	Other major development projects being taken up electric projects etc.	—	—
19	(i) Misc. such as camping sites (ii) Law and other problem (iii) Royalty (iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material. (v) Working period available for construction of work.	—	—
20	Total No. of trees to be removed	—	10
21	Average density of forest cover.		
22	Total No. of Merits		
23	Total No. of Demerits		

RECOMMENDATIONS:

Alignment No. (i) recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Sansadhan
Vikas Evam Nirman Nigam
BHIMTAL (Nainital)

Assistant Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Sansadhan
Vikas Evam Nirman Nigam
BHIMTAL (Nainital)

Note – Signature and approval of the concerned DFO is essential.

-24

प्रारुप–14

योजना का नाम :– देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

<u>वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 0.3326 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रयोजक एजेन्सी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, भीमताल (नैनीताल)	प्रभागीय वनाधिकारी	जिलाधिकारी, नैनीताल

सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, भीमताल (नैनीताल)

उत्तराखण्ड राजस्व पुलिस, राजस्व उपनिरीक्षक, जनपद नैनीताल

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

तहसीलदार
नैनीताल

परगनाधिकारी
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप–15

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

लैन्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे0)
नैनीताल	नैनीताल	मनोरा	नलैना	पाईप लाईन–5140.00 1 नग जलाशय–7.00 2 नग जलाशय–10.00	0.6 6.00 10.00	0.3326

सहायक अभियन्ता प्रयोक्ता एजेन्सी अधिशासी अभियन्ता — प्रभागीय वनाधिकारी

निर्माण शाखा — निर्माण शाखा

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास — उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास

एवं निर्माण निगम — एवं निर्माण निगम

भीमताल (नैनीताल) — भीमताल (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप—15.1

लैन्ड शेड्यूल

योजना का नाम :—देवीधूरा—कून पम्पिंग पेयजल योजना

(सिविल एवं सोयम, वन भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है।)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं0	कुल रकवा	कार्य का विवरण	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे0)
निजि / सिविल	नैनीताल	नैनीताल	भीमताल	....	....	पाईप लाईन जलाशय -1 नग जलाशय -1 नग	9290.00 10.00 6.00	0.6 10.00 6.00	0.571
आरक्षित वन क्षेत्र				....	....	पाईप लाईन जलाशय -1 नग जलाशय- 2 नग	5140.00 7.00 10.00	0.6 6.00 10.00	0.3326
वन पंचायत				—	—	पाईप लाईन पम्प हाउस, सम्प ट्रांसमिशन लाईन	450.00 20.00 14x0.45	0.6 14.00 0.45	0.0301
कुल योग	—	—	—	—	—		—	—	**0.9339**

प्रयोक्ता एजेन्सी
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

उत्तराखण्ड राजस्व पुलिस राजस्व निरीक्षक तहसील नैनीताल जनपद

तहसीलदार नैनीताल

जिलाधिकारी जिलाधिकारी
नैनीताल

परगनाधिकारी
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप–16

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे0 में)
1	आरक्षित वन भूमि	5140.00 7.00 10.00 10.00	0.6 6.00 10.00 10.00	0.3326
2	वन पंचायत भूमि	450.00 20.00 14x0.45	0.6 14.00 0.45	0.0301
3	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	–	–	–
	वन भूमि का योग	–	–	**0.3527**
5	निजी एवं सिविल भूमि	9290.00 10.00 6.00	0.6 10.00 6.00	0.571
	कुल योग –	–	–	**0.9339**

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
भीमताल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
प्रयोक्ता एजेंसी
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

दाननामा

मैं देवेन्द्र भट्ट पुत्र श्री काशीनन्द भट्ट पता ग्राम मल्ला, बेलुवाखान, जि० नैनीताल का निवासी हूँ। मैं अपनी निजी भूमि में से अपनी इच्छानुसार भूमि का दान आदि करने का अधिकार रखता हूँ, इसके तहत् मैं वर्णित भूमि में खाता संख्या — खेत संख्या — में 600 वर्ग मी० भूमि को जलाशय निर्माण किये जाने हेतु दान के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल को निःशुल्क एवं बिना शर्तो के दे रहा हूँ, उक्त भूमि तक मार्ग हेतु भूमि मेरे द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

यह दाननामा मैं अपने पूर्ण होशोहवास में बिना किसी जब्र दबाब के तहरीर कर दिया है, सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आये।

दिनांक 03/03/2021

संलग्नकः– उद्धरण खाता खतौनी

ह0 भूमि दानदाता

देवेन्द्र भट्ट

गवाहः–

1. Narendra Mishra

2. दिगम्बर सिंह

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK16485235068280T
Certificate Issued Date	:	03-Mar-2021 12:20 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1256704/ NAINITAL/ UK-NT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK125670436548267989405T
Purchased by	:	DEVENDRA BHATT SON OF KRISHNANAND
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	DEVENDRA BHATT SON OF KRISHNANAND
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	DEVENDRA BHATT SON OF KRISHNANAND
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

देवेन्द्र भट्ट

----------Please write or type below this line----------

देवेन्द्र भट्ट

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

प्रारूप –17

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

बारचार्ट

किoमीo किoमीo

5140मीo	450 मीo	9290 मीo
0.3326 हैo	0.0301 हैo	0.571 हैo

<u>संकेत तालिका</u>

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (हे0 में)
आरक्षित वन भूमि	हरा	0.3326
सिविल एवं सोयम भूमि	पीला	0.571
वन पंचायत भूमि	बैंगनी/नीला	0.0301
संरक्षित वन भूमि	भूरा	–
नाप भूमि	सफेद /अन्य रंग	–

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
धनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप–18

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
[illegible] (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप–19

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 26.05.2020को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्रसं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक/कम्पार्टमेन्ट/खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग								
1.	आरक्षित वन भूमि				20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	योग
2.	सिविल सोयम							NIL					
3.	वन पंचायत							NIL					
4.	संरक्षित वन		NIL										
योग :– वन भूमि			NIL										
5.	नाप भूमि		NIL										
कुल योग :–													

प्रस्तावित वन भूमि पर कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है, किसी भी वृक्ष के पातन की आवश्यकता नहीं है।

राजि अधिकारी | प्रभागीय वनाधिकारी | राजस्व विभाग | जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
नैनीताल

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

तहसीलदार
नैनीताल

उपजिलाधिकारी
नैनीताल

प्रारुप–20

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।

आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि/ संरक्षित वन भूमि/ नाप भूमि

क0सं0	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
		20–30			
		30–40			
		40–50			
		50–60		लागू नहीं।	
		60–70			
		70–80			
		80–90			
		कुल योग			

किसी भी वृक्ष के पातन की आवश्यता नहीं है।

राजि अधिकारी — प्रभागीय वनाधिकारी

नोट– आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि/ संरक्षित वन भूमि/ नाप भूमि के लिये उपरोक्त मूल्यांकन अलग अलग करना होगा ।

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप–20.1

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्रसं	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग								
1.	आरक्षित वन भूमि	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	योग
2.	सिविल सोयम									
3.	संरक्षित वन									
4.	वन पंचायत									
	वन भूमि का योग	*लागू नहीं।*								
5.	नाप भूमि									
	कुल योग :–									

राजि अधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैन...

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–21

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र. सं	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1.	आरक्षित वन भूमि		*लागू नहीं।*	
2.	सिविल सोयम			
3.	वन पंचायत			
4.	संरक्षित वन			
	योगः–वन भूमि			
5.	नाप भूमि			
	कुल योग :–			

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल ....वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल .... वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप–22

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

<u>वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र(लागू नही)</u>

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक .... को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :–

क्र0 सं0	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक/कम्पार्टमेन्ट/खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग								
1.	आरक्षित वन भूमि				20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	योग
2.	सिविल सोयम												
3.	वन पंचायत												
4.	संरक्षित वन												
	योग :– वन भूमि												
5.	नाप भूमि												
	कुल योग :–												

उपरोक्तानुसार किसी भी बॉज वृक्ष के पातन की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक

प्रारुप–23

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नही हो रहे हैं।

प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप–24

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु **–कोई भी वृक्ष प्रभावित नही हो रहे हैं।**

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप–25

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 40 किमी0 है।

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप–26

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू)

लागू नही

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना होगा।

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

प्रारुप–27

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति)

लागू नही

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रारुप–28

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गॉवों की प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय। –***संलग्न है।***

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रारुप–29
(5.00 हे0 से अधिक के प्रकरणों में लागू)
Cost Benefit Ratio calculation Performa

लागू नहीं।

Name of the project –
Block:- **District:-**

SL. No.	Particulars	Amount in lakhs	Remark
1	Total cost (Investment incurred)		
(A)	Construction cost of the project		
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @ -- - lakh /Ha		
(D)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited		
(E)	Other cost if any		
	Grand Total		
2	Benefits	Estimated Cost /yearly	Total benefit during the life of the created development
2.1	i. Direct Economic Benefits a. b. c.		
	Total direct benefits		
2.2	ii. Social Benefits a. b. c.		
	Total social benefits		
2.3	iii. Ecological Benefits a. b. c.		
	Total eclological benefits		
2.4	Other Benefits(if any) a. b.		
	Total benefits		
	Grand Total Benefits		

प्रयोक्ता एजेन्सी
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–29.1

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Name of Project: - Nature of Proposal :-

Sl.no.	Parameters	Details
1	2	3
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived there livelihood and wage from the harvest of these commodities	Nil
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder	Nil
3	Cost of human resettlement	Nil
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	Nil
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	Nil
6	Suffering to oustees	Nil

अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम भीमताल (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–29.2

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests

Name of Project:- Nature of Proposal :-

Sl.no.	Parameters	Details
1	2	3
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	no
2	Benefits to economy	No
3	No. of population benefited.	1163
4	Employment potential.	Nil
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	Nil
6	Loss of (a) agricuitural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	Nil
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	Nil
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	5000

सहायक अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम भीमताल (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम भीमताल (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी मनोरा वन क्षेत्र नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी

-45

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM – 1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector ....

No............. Dated.................

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.3326 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Uttarakhand Peyjal Nigam, Bhimtal for Devidhura Koon Water supply Scheme in Nainital district falls within jurisdiction of Devidhura village (s) in Nainital tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.3326 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Aman 5/12/2020

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

Signature जिलाधिकारी

(Full name and official seal of the District Collector)
नैनीताल

तहसीलदार
नैनीताल

परगनाधिकारी
नैनीताल

-- 46

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-------

No--- **Dated-----**

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN (NOT APPLICABLE)

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.3226 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Uttarkhand Peyjal Nigam for Devidhura Koon Water Supply Schemein Nainital district falls within jurisdiction of Devidhura village (s) in Nainital tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.3226 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Devudhura villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure......

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

जिला समाज कल्याण अधिकारी

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल

तहसीलदार
नैनीताल

परगनाधिकारी
नैनीताल

-15- 47

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT NAINITAL (U.K.) C NOT APPLICABLE

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Dheeraj S. Garbyal -deputy commissioner, Nainital on dated ………… at time …………at ……….. in which application claiming rights in ………….. area measuring 0.3226 hect for the construction of ………………… forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Nainital sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made& hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;…………......
Dated:……… 12/20

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
नैनीताल

परगनाधिकारी
नैनीताल

तहसीलदार
नैनीताल

प्रारुप–30.2

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नैनीताल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड नैनीतालपरिक्षेत्र के अन्तर्गत (0.3326है0 आरक्षित वन भूमि, 0.571है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि तथा 0.0301 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.3326है0 वन भूमि) का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नैनीताल) की दिनांक .... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–श्री विनोद कुमार,उपजिलाधिकारी ————————————अध्यक्ष
2– श्री ——————————उप प्रभागीय वनाधिकारी——————————सदस्य
3– श्री ——पूनम रावत——सहायक समाज कल्याण अधिकारी————सदस्य/सचिव
4– श्री ——हिमांशु पाण्डे——बी0डी0सी0 क्षेत्र ——देवीधूरा——————सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देवीधूरा कून पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 0.3226.है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीतालपरिक्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.3326 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–...........नैनीताल
जनपद ....नैनीताल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील नैनीताल
जनपद नैनीताल

Himanshu Pandey
ज्येष्ठ प्रमुख
भीमताल (नैनीताल)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी भीमताल

राजस्व पटवारी .... तहसील .. जनपद नैनीताल

तहसीलदार नैनीताल।

प्रारुप–30.3

योजना का नाम :– देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण--पत्र
तहसील–लालकुआ
जिला– नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **नैनीतालके** अन्तर्गत देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु (0.3326हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.571हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि तथा 0.0301हे0 वन पंचायत भूमि,अर्थात कुल **0. 3326हे0** वन भूमि का**अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजलनिगम, भीमताल**के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत देवीधूरा में दिनांक 29/11/20 को सम्पन्न ग्रामसभा की बैठक में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगरवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्रामसभाद्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामसभा देवीधूरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कापरियोजना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमतालप्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्रामपचायत देवीधूरा

प्रधान
ग्राम पंचायत देवीधूरा
[illegible] भीमताल (नैनीताल)

प्रारुप–30.4

दिनांक 21/11/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत देवीधूरा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री प्रदीप कुमार	[illegible]
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद (वार्ड मेम्बर)	[illegible]
3	श्री तिलक राम	[illegible]
4	श्री अन राम शर्मा (वार्ड मेम्बर)	[illegible]
5	श्री हरीश सिंह (पूर्व क्षे० पं० सदस्य)	[illegible]
6	श्री नरेन्द्र प्रसाद (पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य)	[illegible]
7	श्री मोहन सिंह	मोहन सिंह
8	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
9	श्री चन्द्र मोहन	चन्द्र मोहन
10	श्री सुरेश चन्द्र	[illegible]
11	श्री ओम प्रकाश	omprakash
12	श्री मोहित शर्मा (उप प्रधान)	[illegible]
13	श्रीमती कमला देवी	कमला
14	श्रीमती हंसी देवी	हंसी आर्या
15	श्रीमती शान्ति देवी	शान्ति देवी
16	श्री भुवन चन्द्र	Bhuwan

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत देवीधूरा
[illegible] चम्पावत ([illegible])

प्रारुप–31

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

(केवल जल विद्युत परियोजनाओं के लिये लागू)

मदवार विवरण

प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार/भूमिवार/क्षेत्रफलवार का विवरण।

क0सं0	घटक/ कम्पोनेंट (Component)	आरक्षित वन भूमि (हे0 में)	सिविल एवं सोयम भूमि (हे0 में)	वन पंचायत भूमि (हे0 में)	संरक्षित वन (हे0 में)	कुल वन भूमि (हे0 में)	नाप भूमि (हे0 में)
लागू नहीं							
योगः–							

प्रयोक्ता एजेन्सी
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

- ... - 52

प्रारुप–32

योजना का नाम :– देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

भवन निर्माण / जल विद्युत परियोजनाओं हेतु ले–आउट प्लान / मदवार विवरण दिया जाना होगा ।

लागू नहीं

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

(प्रयोक्ता एजेन्सी)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रारुप–33

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

भू–वैज्ञानिक की आख्या

(प्रस्तावित स्थल की भू–वैज्ञानिक द्वारा निर्गत अद्यतन निरीक्षण आख्या प्राप्त कर संलग्न की जाय।)

संलग्न है।

(भू–वैज्ञानिक)
नाम व मुहर सहित

कार्यालय भूवैज्ञानिक

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
जिला टास्क फोर्स, नैनीताल स्थित हल्द्वानी।

पत्रांक 837 /टा0फो0नैनी0/विविध/2020-21 दिनांक : 20-11-2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
भीमताल, नैनीताल।

विषयः– **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास क्षेत्र भीमताल की देवीधुरा कून पेयजल योजना के निर्माण हेतु चयनित भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।**

महोदय,

कृपया आपके पत्रांक 2494/121/27, दिनांक 01.09.2020 के माध्यम से सन्दर्भित उपरोक्त प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्पन्न किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या सं0 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः– निरीक्षण आख्या।

भवदीय

(रवि सिंह नेगी)
सहायक भूवैज्ञानिक

सं0 837/उपरोक्तानुसार/तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी नैनीताल।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

(सहायक भूवैज्ञानिक)

निरी0आ0 सं0 /टा0फो0नैनी0/विविध/2020–21

कार्यालय भूवैज्ञानिक, भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स, नैनीताल स्थित हल्द्वानी

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास क्षेत्र भीमताल की देवीधुरा कून पेयजल योजना के निर्माण हेतु चयनित भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

प्रस्तावनाः–

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल नैनीतान के पत्रांक 2494/121/27 दिनांक 01.09.2020 के माध्यम से सन्दर्भित उपरोक्त प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्पन्न किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

स्थितिः–

प्रस्तावित स्थल, नैनीताल–ज्योलीकोट–हल्द्वानी मोटर मार्ग के पश्चिम की ओर स्थित है। स्थल वर्तमान में खुला ढालदार भूभाग स्थित है जिसमे स्थानीय प्रजाति की झाड़िया तथा वृक्ष स्थित है। स्थल एक घाटीनुमा क्षेत्र मे स्थित है जिसके उत्तर, पश्चिम व पूरब की ओर स्थल से अधिक ऊंचाई वाला खुला ढालदार भूभाग स्थित है। स्रोत स्थल के पश्चिम की ओर लगभग 500 मीटर की दूरी पर बलियानाला स्थित है जिसके बहाव की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। स्थल के उत्तर की ओर लगभग 640 मीटर की दूरी पर देवीधुरा मार्ग स्थित है। स्थल के दक्षिण की ओर स्थल से कम ऊंचाई वाला खुला ढालदार भूभाग स्थित है तथा लगभग 500 मीटर की दूरी पर कुछ आवासीय भवन स्थित है। स्थल के पूरब की ओर लगभग 630 मीटर की दूरी पर नैनीताल–ज्योलीकोट मोटर मार्ग स्थित है। प्रस्तावित पेयजल योजना से ओवरहैड टैंक मे एकत्रित जल को क्षेत्रीय जनता के लिये पेयजल हेतु उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। कार्यदायी विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के संरचनाओं के आकार तथा ऊंचाई के सम्बन्ध में कोई अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध नही कराये गये हैं।

आवेदित स्थल भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट सं0 **53 O/7** के अन्तर्गत स्थित है। स्थल की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1401 मीटर है। स्थल निम्न अक्षांश व देशान्तर पर स्थित है :–

1.	श्रोत	उत्तर	29^0	21.769'	अक्षांश,	पूर्व	79^0	26.684'	देशान्तर
2.	मुख्य जलाशय	उत्तर	29^0	21.254'	अक्षांश,	पूर्व	79^0	27.023'	देशान्तर
3.	वितरण जलाशय I	उत्तर	29^0	21.261'	अक्षांश,	पूर्व	79^0	27.008'	देशान्तर
4.	वितरण जलाशय II	उत्तर	29^0	20.548'	अक्षांश,	पूर्व	79^0	26.606'	देशान्तर
5.	वितरण जलाशय III	उत्तर	29^0	20.378'	अक्षांश,	पूर्व	79^0	26.154'	देशान्तर

भूगर्भीय सरचना :–

प्रस्तावित स्थल पर स्वस्थानिक चट्टाने दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से यह स्थल लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला के मध्य मसूरी समूह की क्रोल फार्मेशन के अन्तर्गत आता है। स्थल पर ऊपर की ओर 0.5 मीटर से 1.0 मीटर मोटाई की मृदा की परत स्थित है जिसमें स्वस्थानिक प्रजाति की चट्टानों के छोटे कोणीय टुकड़े मिश्रित अवस्था में हैं। स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित उर्ध्वाधर खुले भूखण्ड में स्वस्थानिक चट्टानों के आउटक्रोप का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि स्थल पर नीचे की ओर पतली

परतदार गुलाबी–ग्रे रंग की शेल/स्लेट प्रकृति की चट्टाने तथा ग्रे–भूरे रंग की परतदार लाईमस्टोन प्रकृति की चट्टाने स्थित हैं जो स्वस्थाने क्रश्ड व अपरदित अवस्था में हैं। स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्वस्थानिक प्रजाति की चट्टानों के विभिन्न आकार के कुछ कोणीय टुकड़े सतह पर मृदा के साथ धंसी हुयी अवस्था में विद्यमान हैं। स्थल की स्थलाकृति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि स्थल का ऊपरी भाग, स्थल के उत्तर की ओर स्थित, स्थल से अधिक ऊंचाई वाले पहाडी ढालदार भूभाग के अपरदन से कालान्तर में टूटकर आये अवसादों के स्थल पर निक्षेपित हुए भाग से निर्मित हुआ प्रतीत होता है जो वर्तमान में स्थिर हो गया है। स्थल एक बड़े घाटीनुमा क्षेत्र के उत्तर–पूरब भाग मे स्थित है जो बलियानाल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। स्थल/क्षेत्र भारतीय सीजमिक मानचित्र मे सक्रिय भूकम्पीय पट्टी IV (हाई डैमेज रिस्क जोन) मे वर्गीकृत किया गया है जहाँ स्थल अधिकांशतः लघु से मध्यम व यदाकदा वृहद तीव्रता के भूकम्पन्नों से प्रभावित हो सकता है। स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में कोई भूस्खलन/भूंधसाव प्रभावित क्षेत्र व कोई प्राकृतिक नाला आदि दृष्टिगोचर नहीं होता है। निरीक्षण के समय स्थल पर भूधंसाव के कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। स्थल वर्तमान में स्थिर (प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) प्रतीत होता है।

सुझाव एवं शर्तेः–

भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से पेयजल योजना का निर्माण करते समय निम्नलिखित सुझावों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगाः–

1. प्रस्तावित योजना का निर्माण मानव शक्तिकरण द्वारा कराया जाना उचित होगा।
2. प्रस्तावित योजना के निर्माण के समय किसी भी प्रकार की ब्लास्टिंग का प्रयोग नही किया जायेगा।
3. प्रस्तावत योजना के निर्माण के समय निकलने वाले मलवे को स्थल के अन्तर्गत ही पूर्णतया समायोजित कर लिया जाये।
4. निर्माण योजना मे किसी प्रकार के अतिरिक्त उत्खनन को न किया जाये यदि किसी प्रकार की उत्खनन केवीटी जनित हो तो उसे उचित कंकरीट मटीरियल से भरा जाना होगा।
5. योजना निर्माण, मोटर मार्ग से नियमानुसार दूरी पर तथा इस प्रकार से किया जाना होगा कि मोटर मार्ग व सिंचाई गूल को कोई क्षति न पंहुचने पाये।

निष्कर्षः–

अतः उपरोक्त सुझावों के पूर्णतया अनुपालन की दशा मे ही आवेदित स्थल के अन्तर्गत भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से पेयजल योजना हेतु उपयुक्त है। उचित होगा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि योजना निर्माण करते समय, स्थल के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त सुझावों का पूर्णतया अनुपालन किया जाये। यदि उपरोक्त सुझावों का पूर्णतया अनुपालन नही किया जाता है तो स्थल एवं निकटवर्ती क्षेत्र पर पड़ने वाले भूगर्भीय दृष्टिकोण से विपरीत प्रभावों के लिये आवेदक संस्था स्वयं उत्तरदायी होगें।

(रवि सिंह नेगी)
सहायक भूवैज्ञानिक

प्रारुप–34

योजना का नाम :– देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

(प्रयोक्ता एजेंसी)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
भीमताल।

प्रारुप–35

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.
Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-
(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
भीमताल।

प्रारुप–36

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि

फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारुप–37

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

प्रयोक्ता एजेन्सी
अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
नैनीताल

तहसीलदार
नैनीताल

परगनाधिकारी
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप–38

योजना का नाम :–देवीधूरा–कूरन पम्पिंग पेयजल योजना

<u>वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

Bhatt

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारुप–39

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

<u>परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारुप–40

योजना का नाम :– देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्नलिखित स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क0सं0	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या
1	देवीधूरा	198	992
2	बेलुवाखान तोक कून	34	171
योगः–		232	1163

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी

- 65 -

प्रारुप–41

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

<u>वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये 50 लाख प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 0.3326 हे0 वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रूपये 16.63 लाख होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट प्रीमियम (मूल्य) का 10% प्रतिशत की दर से रूपये 1,66,300=00 प्रतिवर्ष होता है। उक्त प्रस्तावित भूमि नैनीताल - हल्द्वानी मुख्य मोटर मार्ग से 200 मी० से अधिक दूरी पर स्थित है।

अधिशासी अभि॰
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

परगनाधिकारी
नैनीताल

उप निबन्धक
नैनीताल।

प्रारुप–42

योजना का नाम :–देवीधूरा–कूून पम्पिंग पेयजल योजना

<u>क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के साथ संलग्न किया जाना है।</u>

लागू नहीं।

प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

-67

प्रारुप–43

योजना का नाम :–देवीधूरा–कूून पम्पिंग पेयजल योजना

<u>क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित .....—.....स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

लागू नहीं।

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप–44

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 1:50000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न किया जाय। मानचित्र में समस्त सूचनाओं जी0पी0एस0 रीडिंग सहित दर्शाते हुए संकेत तालिका में भी दिया जाय।

लागू नहीं।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–45

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का रंगीन गूगल मानचित्र, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न किया जाय। मानचित्र में समस्त सूचनाओं जी0पी0एस0 रीडिंग सहित दर्शाते हुए संकेत तालिका में भी दिया जाय।

लागू नहीं।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप–46

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों/पथ वृक्षारोपण/100 वृक्षों/काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्षों/बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण का प्राक्कलन संलग्न किया जाना है (जो भी लागू हो)

लागू नहीं।

प्रारुप–47

योजना का नाम :– देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।

लागू नहीं।

भूमिधर

राजस्व विभाग
नाम पद एवं मुहर सहित

तहसीलदार
नैनीताल।

परगनाधिकारी
नैनीताल

प्रारुप–48

योजना का नाम :–देवीधूरा–कूून पम्पिंग पेयजल योजना

भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुए अनुबन्ध की प्रति संलग्न की जाय।

लागू नहीं।

भूमिधर राजस्व विभाग नाम पद एवं मुहर सहित

राजस्व पुलिस

तहसीलदार
नैनीताल

परगनाधिकारी
नैनीताल

प्रारुप–49

योजना का नाम :–देवीधूरा–कूनू पम्पिंग पेयजल योजना

मलवा निस्तारण योजना इस मार्गदर्शिका के परिशिष्ट में दिये माडल अनुसार तैयार की जानी है।

Cutt & Fill at Site

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी

- 71 - 73

प्रारुप–50

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन *(लागू नही)*

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी......Vth
2. हरियाली का घनत्व......0.1
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0......~~0.3527~~, 845000=00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल......0.3527
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि......298,032=10

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

74

प्रारुप–51

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना (लागू नहीं)

<u>एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रारुप–52

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

<u>प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क.स.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खौदना		ल0	चौ0	ऊचाई				
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना								
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण								
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कय करना								
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य								
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना								
8	पानी की ढुलाई आदि								
	कुल योग								

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

-76

प्रारुप–53

योजना का नाम :– देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

(वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)
लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि 30 वर्षो की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

-78- 77

प्रारुप–54

योजना का नाम :–देवीधूरा–कूून पम्पिंग पेयजल योजना

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप–55

योजना का नाम :–देवीधूरा–कूून पम्पिंग पेयजल योजना

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान

–लागू नहीं

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रयोक्ता एजेंसी

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रारुप–56

योजना का नाम :–देवीधूरा–कूनं पम्पिंग पेयजल योजना

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृती (यदि लागू हो) संलग्न की जाय।

– लागू नहीं

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम
भीमताल (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रयोक्ता एजेंसी

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी / कलक्टर, नैनीताल।

पत्रांक 210/ 5–स्टाम्प/ मूल्यांकन– 2020–21 (संशोधित दर सूची) दिनांक 13 जनवरी 2020

केन्द्रीय मूल्यांकन समिति की संस्तुति के पश्चात शासन के पत्र सं. 17 /2020 XXVII (9)–स्टाम्प–80/ 2009 दिनांक 12 जनवरी 2020 से प्राप्त निर्देश के कम में कार्यालय जिलाधिकारी/ कलक्टर, नैनीताल पत्रांक 1536 /5–स्टाम्प/ मूल्यांकन– 2018–19 (संशोधित दर सूची) दिनांक 14 जनवरी 2018 से प्रभावी दर सूची को संशोधित किया जाता है जो दिनांक 13 जनवरी 2020 से प्रभावी होगी।

13/01

(सविन बंसल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

जिलाधिकारी
नैनीताल

तहसील नैनीताल ग्रामीण क्षेत्र की सर्किल दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग मोहल्लों राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग मोहल्लों राजस्व ग्रामों नाम	सामान्य दर (Base Rate)						
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर प्रति हैक्टेयर लाख रु० में)	प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि की दर (प्रति वर्ग मी० रु० में)	बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)	
			200 मी० से अधिक	200 मी० से अधिक		दुकान , रेस्टोरेन्ट कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी पक्का
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ग.2	1	देवीधूरा	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	2	अमगडी	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	3	स्यात	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	4	चकदेवानन्द	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	5	गजारी	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	6	मंगोल	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	7	मल्यूटी	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	8	बोहरा गावं पटटी खुरपाताल	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	9	घटगढ	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	10	बगड मल्ला	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	11	बगड तल्ला	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	12	ज्योली	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	13	सुरियागांव	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	14	साहखोला	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	15	महरोड़ा	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	16	चोपडा	50	3000	18000	27900	26400	12000	7000
	17	हैड़ियागांव	50	3000	18000				

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
नैनीताल.